

दिल्ली विकास प्राधिकरण

कुतुब गोल्फ कोर्स

प्रेस एन्क्लेव रोड, नई दिल्ली - 110017

एफ3 (05)/क्यूजीसी/डीडीए/2024-25/489

दिनांक: 21/05/2024

कोटेशन आमंत्रण ऑनलाइन नोटिस संख्या 01

कुतुब गोल्फ कोर्स में निम्नलिखित कार्यों के लिए दिल्ली विकास प्राधिकरण, (स्पोर्ट्स विंग) की ओर से ऑनलाइन कोटेशन आमंत्रित किए जाते हैं। कोटेशन दो भागों में अपलोड किया जाएगा, अर्थात् 'भाग-I' जिसमें तकनीकी बोली होगी और 'भाग-II' जिसमें 'वित्तीय बोली' होगी। निर्धारित तरीके से अपलोड नहीं की गई बोली को बिल्कुल भी शामिल नहीं किया जाएगा। केवल वे एजेंसियां/फर्म/व्यक्ति जिन्होंने समान कार्य पूरा किया है, जिन्होंने तीन या अधिक समान प्रकृति के कार्यों को सफलतापूर्वक पूरा किया है, जिनमें से प्रत्येक की लागत निविदा में रखी गई अनुमानित लागत का 40% से कम नहीं है, या दो पूर्ण किए गए कार्य हैं, जिनमें से प्रत्येक की लागत 60% से कम नहीं है। पिछले सात वर्षों के दौरान निविदा में डाली गई अनुमानित लागत, या एक पूर्ण कार्य जिसकी लागत अनुमानित लागत का 80% से कम न हो, सरकारी विभाग या सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रम में प्रत्येक वर्ष के दौरान अनुमानित लागत का 30% से अधिक वार्षिक कारोबार के साथ निविदा में रखा गया हो। मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्षों में वैध यूडीआईएन रखने वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित आवेदन करने के हकदार हैं। इसका एक प्रमाण तकनीकी बोली के साथ अपलोड किया जाना चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। निविदाकर्ता को जीएसटी विभाग के साथ पंजीकृत होना चाहिए और निविदा के साथ पंजीकरण की एक प्रति प्रस्तुत करनी चाहिए। बयाना राशि आरटीजीएस/एनईएफटी के माध्यम से "सीएयू स्पोर्ट्स डीडीए (ईएमडी खाता)" के खाते में जमा की जाएगी, जिसका खाता नंबर 1614159849 "कोटक महिंद्रा बैंक, गुलमोहर पार्क, नई दिल्ली, (आईएफएससी। केकेबीके0000184)" है।

विशिष्ट कार्य

अब:-कुतुब गोल्फ कोर्स का रखरखाव, डीडीए।

एस.एच.:- क्यूजीसी, डीडीए में छेद संख्या 16 और ग्रीन संख्या 13 पर खंभों पर सुरक्षा तार जाल प्रदान करना और लगाना

अनुमानित लागत: ₹. 2,03,239/-

बयाना राशि: 10,000/-

| क्र.सं. | विवरण | मात्रा | इकाई |
|---------|---|--------|------|
| 1. | नींव की खाइयों या नालियों में यांत्रिक साधनों (हाइड्रोलिक उत्खनन) / मैनुअल साधनों द्वारा खुदाई में मिट्टी का काम (चौड़ाई में 1.5 मीटर या योजना पर 10 वर्ग मीटर से अधिक नहीं), जिसमें सभी लिफ्टों के लिए किनारों की ड्रेसिंग और तली की रैमिंग शामिल है, जिसमें बाहर निकलना भी शामिल है। खोदी गई मिट्टी और निर्देशानुसार अधिशेष खोदी गई मिट्टी का निपटान, 50 मीटर की सीमा के भीतर। 2.8.1 सभी प्रकार की मिट्टी। | 0.27 | Cum |
| 2. | 1:2:4 (1 सीमेंट:2 मोटी रेत (जोन-III) से प्राप्त प्राकृतिक स्रोत: 4 श्रेणीकृत पत्थर समुच्चय 20 मिमी नाममात्र | 0.27 | Cum |

| | | | |
|----|---|---------|------|
| | प्राकृतिक स्रोतों से प्राप्त आकार) | | |
| 3. | निर्मित ट्यूबलर (गोल, चौकोर या आयताकार खोखले ट्यूब आदि) ट्रेस आदि में स्टील का काम, जिसमें काटना, फहराना, स्थिति में ठीक करना और अनुमोदित स्टील प्राइमर का प्राइमिंग कोट लगाना, वेल्डिंग और विशेष आकार के वॉशर आदि के साथ बोल्ट लगाना शामिल है। 10.16.1 गर्म तैयार वेल्डेड प्रकार ट्यूब | 361.31 | Kg |
| 4. | अनुमोदित ब्रांड के सिंथेटिक इनेमल पेंट से पेंटिंग करना और एक समान शेड देने के लिए आवश्यक रंग का निर्माण: 13.62.1 नए काम पर उपयुक्त शेड के अंडर कोट के ऊपर अनुमोदित ब्रांड और निर्माण के साधारण पेंट के साथ दो या दो से अधिक कोट | 20 | Sqm |
| 5. | प्रभारी इंजीनियर की इच्छानुसार विभिन्न स्थानों पर गारवेयर नेट उपलब्ध कराना और ठीक करना। | 1076.39 | Sqft |
| 6. | भवन/संरचना के बाहरी हिस्से पर जमीन के स्तर से ऊपर, 25 मीटर की ऊंचाई तक डबल मचान प्रणाली (कप लॉक प्रकार) प्रदान करना और लगाना, जिसमें साइट की आवश्यकता के अनुसार चरणबद्ध तरीके से मचान की अतिरिक्त पंक्तियाँ शामिल हैं, जो 40 मिमी व्यास एम.एस. के साथ बनाई गई हैं। ट्यूब, 1.5 मीटर केंद्र से केंद्र तक रखी गई, क्षैतिज और ऊर्ध्वाधर ट्यूबों को एम.एस. के साथ कप और लॉक सिस्टम के साथ जोड़ा गया। ट्यूब, एम.एस. ट्यूब चैलिस, एम.एस. कार्य मंच आदि के लिए मचान में क्लैप और सीढ़ी प्रणाली और सफाई और/या पॉइंटिंग और/या रसायन लगाने और उसके बाद इसे हटाने के कार्य के निष्पादन के लिए इसे सेवा योग्य स्थिति में बनाए रखना। मचान प्रणाली को ब्रेसिंग, रनर, भवन से जोड़ने आदि के साथ मजबूत किया जाएगा, जहां भी आवश्यक हो, यदि संभव हो, तो श्रमिकों आदि के लिए आवश्यक सुरक्षा सुविधाओं के साथ आवश्यक स्थानों पर काम के निरीक्षण के लिए, इंजीनियर-इन के निर्देशों और अनुमोदन के अनुसार पूरा किया जाएगा। - शुल्क। टिप्पणी:- | 250.84 | Sqm |

| | | | |
|--|--|--|--|
| | (1) भुगतान प्रयोजन के लिए मचान के ऊंचाई वाले क्षेत्र को मापा जाएगा। (2) निष्पादन के लिए भुगतान केवल एक बार किया जाएगा ऐसे कार्यों के लिए सभी मदों की. | | |
|--|--|--|--|

कोटेशन दस्तावेज़ ई-टेंडरिंग पोर्टल यानी वेबसाइट <https://eprocure.gov.in/eprocure/app> या www.dda.org.in पर 27.05.2024 (03:00 अपराह्न) तक प्राप्त/डाउनलोड किए जा सकते हैं।) (बिक्री की अंतिम तिथि) और तकनीकी बोली का उद्घाटन 28.05.2024 (3.30 अपराह्न) को होगा। आरटीजीएस/एनईएफटी का अद्वितीय लेनदेन संदर्भ कोटेशनकर्ता द्वारा निर्धारित तिथि तक ई-टेंडरिंग प्रणाली में अपलोड करना होगा।

“सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) के साथ पंजीकृत एजेंसियों/फर्मों को ईएमडी जमा से छूट दी जाएगी। यह छूट एमएसएमई द्वारा उत्पादित वस्तुओं और प्रदान की जाने वाली सेवाओं के मामले में बढ़ाई जाएगी। हालाँकि, ऐसी छूटों का लाभ उठाने के लिए, एजेंसियों/फर्मों द्वारा पंजीकरण का एक वैध प्रमाण पत्र ई-निविदा पोर्टल पर दिया/अपलोड किया जाएगा।

तकनीकी बोली (पहला कवर)

तकनीकी बोली में कोटेशनकर्ताओं को निम्नलिखित दस्तावेज प्रस्तुत करना आवश्यक है:-

1. सूक्ष्म लघु और मध्यम उद्यमों (एमएसएमई) के लिए सार्वजनिक खरीद नीति के तहत आरटीजीएस/एनईएफटी (ईएमडी) के संदर्भ की स्कैन की गई प्रति या राष्ट्रीय लघु उद्योग निगम (एनएसआईसी) की वैध पंजीकरण प्रति।
2. पैन नंबर की स्कैन की गई कॉपी
3. जीएसटी प्रमाणपत्र की स्कैन की गई प्रति।
4. किसी भी सरकार में समान कार्य के अनुभव प्रमाण पत्र की स्कैन की गई प्रति। संगठन/पीएसयू डीडीए के ठेकेदार पंजीकरण बोर्ड के पास जमा अपेक्षित शुल्क के प्रमाण की स्कैन की गई प्रति।
5. मार्च 2023 को समाप्त होने वाले पिछले लगातार तीन वित्तीय वर्ष के टर्नओवर की स्कैन की गई प्रतिलिपि, वैध यूडीआईएन वाले चार्टर्ड अकाउंटेंट द्वारा विधिवत प्रमाणित।

नियम एवं शर्तें:-

1. कार्य विनिर्देशों के अनुसार किया जाएगा।
2. उद्धृत दर में संबंधित राज्यों के तहत देय जीएसटी सहित सभी कर/लेवी शामिल होनी चाहिए, डीडीए इस संबंध में किसी भी दावे पर विचार नहीं करेगा।
3. भुगतान आरई/सचिव/क्यूजीसी, डीडीए की पूरी संतुष्टि के बाद किया जाएगा।
4. विभाग द्वारा कोई टीएंडपी जारी नहीं किया जाएगा।
5. आपूर्ति/कार्य आदेश जारी होने की तारीख से 30 दिनों के भीतर पूरा किया जाएगा।
6. एजेंसी को कोई अग्रिम भुगतान नहीं किया जाएगा।

7. आयुक्त (खेल) बिना कोई कारण बताए किसी भी बोली/कोटेशन को स्वीकार या अस्वीकार करने का अधिकार सुरक्षित रखता है।
8. यदि कार्य निर्धारित समय में पूरा नहीं होता है तो कार्य घटिया पाए जाने पर संबंधित एजेंसी को डिबार करने का अधिकार आयुक्त (खेल) के पास सुरक्षित है।
9. सशर्त कोटेशन स्वीकार नहीं किया जाएगा।
10. यथा लागू आवश्यक वैधानिक कटौतियाँ की जाएंगी।
11. निविदा राशि से 10% सुरक्षा जमा राशि की कटौती की जायेगी।
12. साइट पर किसी भी नाबालिग को काम पर नहीं लगाया जाएगा।
13. विभाग द्वारा एजेंसी को कुछ भी अतिरिक्त भुगतान नहीं किया जायेगा।
14. कोटेशन की वैधता खुलने की तारीख से 60 दिन है।
15. वर्जित एजेंसी/या व्यक्ति को निविदा प्रक्रिया में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी। एजेंसी प्रतिष्ठित होनी चाहिए और उसकी कोई धूमिल प्रतिष्ठा नहीं होनी चाहिए।
16. किसी भी व्यक्ति, जिसे प्रतिबंधित किया गया है, को किसी भी बातचीत में भाग लेने या किसी एजेंसी का प्रतिनिधित्व करने की अनुमति नहीं है, भले ही उसके पास एजेंसियों की ओर से पावर ऑफ अटॉर्नी हो। वर्जित व्यक्तियों को शामिल करने वाली कोई भी एजेंसी भी वर्जित करने के लिए उत्तरदायी है।
17. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।
18. अनुसूची में मदों की मात्रा अस्थायी है जो साइट की स्थितियों के आधार पर बदल सकती है।
19. यदि संपूर्ण कार्य कार्य आदेश में उल्लिखित निर्धारित समय के भीतर नहीं किया जाता है, तो यह सचिव/क्यूजीसी का पूर्ण विवेक होगा कि वह मद के कार्य को ऐसी शर्तों पर स्वीकार करे जैसा सचिव उचित और उचित समझे या आपूर्ति रद्द कर दे। कार्य आदेश/कार्य के विरुद्ध किसी भी भुगतान को रोकने/बयाना राशि जब्त करने या संबंधित एजेंसी को प्रतिबंधित करने के लिए। इस संबंध में सक्षम प्राधिकारी का निर्णय अंतिम होगा और किसी भी फोरम के समक्ष उस पर सवाल नहीं उठाया जाएगा।
20. कार्य सम्पादन के दौरान ठेकेदार पूर्णतः उत्तरदायी होगा। यदि साइट/आसपास पर कोई हानि/चोरी/क्षति होती है, तो उसे उद्धृत दरों के साथ पूरा किया जाएगा या एजेंसी से वसूल किया जाएगा/एजेंसी के जोखिम और लागत पर पूरा किया जाएगा।
21. यदि कोई एजेंसी पहली बार दोषपूर्ण या अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है, तो जमा की गई बयाना राशि का 20% जब्त कर लिया जाएगा। हालाँकि, यदि एजेंसी गलती करती है या बाद की निविदाओं में फिर से अधूरी निविदा प्रस्तुत करती है और सक्षम प्राधिकारी को पता चलता है कि चूक उसके इरादे में जानबूझकर, लापरवाही या दुर्भावनापूर्ण है, तो बिना कोई कारण बताए बयाना राशि जब्त कर ली जाएगी और निविदाकर्ता को ऐसा करना होगा। भविष्य की निविदा में भाग लेने की अनुमति नहीं दी जाएगी।
22. यदि बोलीदाताओं द्वारा उद्धृत दरें समान हैं, तो निर्णय पर पहुंचने के लिए, कॉम्प्लेक्स के सचिव, आरई और कॉम्प्लेक्स के डीडीओ की एक समिति द्वारा लॉटरी निकाली जाएगी।
23. एजेंसी में शामिल व्यक्तियों के बजाय एजेंसियों के अनुभव को ध्यान में रखा जाना चाहिए, जिसमें स्वामित्व शामिल नहीं है।

24. डीडीए के सदस्यों और प्रशासनिक कर्मचारियों की वास्तविक समय की प्रतिक्रिया के आधार पर जब भी सेवा में कमी देखी जाएगी तो उसे सुधार के लिए एजेंसी/ठेकेदार को सूचित किया जाएगा। यदि सूचना के समय से निर्धारित अवधि के भीतर कोई सुधार/सुधार नहीं होता है, तो सक्षम प्राधिकारी द्वारा अनुमोदित आनुपातिक कटौती, एजेंसी/ठेकेदार से की जाएगी।

--sd--

रेजिडेंट इंजीनियर/क्यूजीसी/डीडीए